

कार्यों के निर्वहन हेतु मानदंड/Norms for discharge of functions

प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति, कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक, प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा

Nature of functions/ services offered, Norms/ standards for functions/ service delivery, Process by which these services can be accessed & Time-limit for achieving the targets

[http://www.cuh.ac.in/igac/notifi/Notification%20sop%20\(2\).pdf](http://www.cuh.ac.in/igac/notifi/Notification%20sop%20(2).pdf)

शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया/Process of redress of grievances

अध्यादेश XXVI के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों और छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी/ विश्वविद्यालय द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति द्वारा तय किए गए किसी भी कर्मचारी (शिक्षण/गैर-शिक्षण) से संबंधित कोई भी शिकायत।

Any grievance related to any employees (Teaching/Non-Teaching) decided by the Competent Authority of University/Grievance redressal Committee constituted by the University for employees and students, as per the provisions under Ordinance XXVI.

<http://www.cuh.ac.in/admin/uploads/files/0Estt.-1343.pdf>